**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 969**
**दिनांक 08.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**हैंक यार्न दायित्व में कमी**

**969.** श्री डी.एम. कथीर आनन्दः
डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वस्त्र क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और अन्य योजनाओं के तहत बैकलॉग सब्सिडी राशि जारी करने के लिए हैंक यार्न की अनिवार्यता को 40% से घटाकर 10% करने के लिए कोई याचिका प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या कार्रवाई है;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में वस्त्र क्षेत्र में 2025 तक अन्य 25 मिलियन लोगों के लिए नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विगत सात वर्षों के दौरान तमिलनाडु में वस्त्र उद्योगों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार और क्लस्टर-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**वस्त्र राज्य मंत्री**
**(श्रीमती दर्शना जरदोश)**

**(क) और (ख):** सरकार को हैंक यार्न बाध्यता को कम करने के लिए विभिन्न कताई मिलों, वस्त्र संघों और निदेशक हथकरघा और वस्त्र, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं, जिसे अधिसूचना सं. 7/टीडीआरओ/6/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के माध्यम से संशोधित कर 40% से 30% कर दिया गया है।

**(ग) और (घ):** वस्त्र क्षेत्र में अनुमानित प्रत्यक्ष रोजगार 45 मिलियन है। सरकार बुनाई और प्रसंस्करण अर्थात एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना, सिल्क समग्र 2 और एकीकृत वस्त्र पार्कों के लिए योजना आदि के आधुनिकीकरण सहित वस्त्र उद्योग के रोजगार, निवेश और विस्तार को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने भारत में वस्त्र क्षेत्र में नई नौकरियां सृजित करने के लिए वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और 7 मेगा वस्त्र पार्कों की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम-मित्रा) योजना जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

वस्त्र मंत्रालय से वित्तीय सहायता, विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में, राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति और उनकी भौतिक और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। इस आवश्यकता के कारण, संबंधित राज्यों द्वारा विशिष्ट एप्रोच इन मापदंडों के आधार पर लिए जाने हैं, राज्य-वार आंकड़े प्रस्ताव आधारित हैं, और केंद्रीकृत वार्षिक परिमाणीकरण के अधीन नहीं हैं।

*****